(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38	Laboratory Boy	3	Class-IV	Director/Joint Director/Deputy Director Veterinary Services.
39	Cobber	1	Class-IV	Director/Joint Director/Deputy Director Veterinary Services.
40	Flayer	1	Class-IV	Director/Joint Director/Deputy Director Veterinary Services.
41	Labour	1	Class-IV	Director/Joint Director/Deputy Director Veterinary Services.
42	Semen Messenger Supernumerary	5	Class-IV	Director/Joint Director/Deputy Director Veterinary Services.
43	Poultry Vaccinator Supernumerary	191	Class-IV	Director/Joint Director/Deputy Director Veterinary Services.
44	Vaccine Messenger Supernumerary	7	Class-IV	Director/Joint Director/Deputy Director Veterinary Services.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2009

क्र. एफ-01-103-09-आठ.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश परिवहन विभाग (लिपिकीय सेवा तृतीय श्रेणी) भरती नियम, 1974 की अनुसूची-एक के सरल क्र. 05 में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 05 में अंकित "परिवहन आयुक्त का" शब्दांश को विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप राज द्विवेदी, उपसचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2009

क्र. एफ-3-5-09-तीन-2103-जेल.—मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में बन्दी अधिनियम, 1900 (1900 का संख्यांक 3) की धारा 31-ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश बन्दी छुट्टी नियम, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 में, खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(ग) यदि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम छुट्टी मंजूर करने के लिये आवेदन को विचारण के पश्चात् निरस्त किया जाता है तो अधीक्षक, जेल द्वारा निरस्तीकरण आदेश प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के उक्त आदेश के विरुद्ध महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक (करेक्शनल) सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के समक्ष युक्तियुक्त आधारों पर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी तथा इन नियमों के उपबंधों तथा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपील प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए गए आदेश के औचित्य के बारे में मामले पर विचार करेगा तथा वह तद्नुसार या तो आदेश की पुष्टि करेगा या उसे निरस्त करेगा तथा अपील को स्वीकार कर लेने की दशा में वह छुट्टी स्वीकृत करने का समुचित आदेश पारित कर सकेगा.